11.04.13

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल

बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद सं० 108/12 – 13

रविन्द्र यादव वनाम् कुसुमी देवी एवं अन्य

आदेश

आवेदक रविन्द्र यादव पिता स्व०गुलाब चन्द्र यादव साकिन कोरियम थाना वो जिला अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि पर आवेदक के कब्जा का धोषणा एवं आवेदक के हिस्सेवाली भूमि को विपक्षी द्वारा अनैतिक तरीके से करवाये गये बख्शीसनामा को अवैध धोषित कराने का अनुरोध किया है। विवादित भूमि जो ग्राम कोरियम थाना वो जिला अरवल में अवस्थित है निम्न हैः–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
357	1782	9.375 डी०	उ०– जितेन्द्र यादव द०– जितेन्द्र यादव पू०– सीता देवी प०– करहा।

वाद की प्रविष्टि की गई। विपक्षीगण की उपस्थिति हेतु प्राधिकार से नोटिस निर्गत किया गया और वाद की सुनवाई की गई।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है किः–

(1) विवादित भूमि आवेदक को अपने दो भाइयों के बीच खतियानी भूमि का खानगी डेयढ़ाबंदी से बॅटकर मिला है,जिसपर आवेदक का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है।

(2) विवादित खाता,प्लॉट में अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि विपक्षी – 2 ने सीता देवी पति रामजन्म साव से दिनांक 17.07.08 को बेच चुके है।

(3) पुनः विपक्षी 3 योगेन्द्र यादव ने आवेदक के हिस्सा वाली भूमि को अपनी पत्नी कुसुमी देवी,विपक्षी नं०1 के नाम से दिनांक 19.09.12 को विवादित जमीन का बख्शीसनामा करवा लिया और प्रश्नगत् भूमि पर धोर विवाद खड़ा कर दिया है।

(4) आवेदक एवं विपक्षी 3 की माता श्रीमती महापती कुँवर ने कार्यपालक दण्डाधिकारी,अरवल के समक्ष दिनांक 03.06.06 को भाइयों के बीच बॅटवारा को स्वीकार किया है।

(5) हिन्दु मिताक्षरा अधिनियम के अनुसार पति के मृत्युपरांत अपने पुत्रों के बीच बॅटवारा के बाद पत्नी को किसी प्रकार का बिक्री या दान करने का अधिकार नहीं है। प्रश्नगत् भूमि में विपक्षी सं०2 विपक्षी सं०1 को दान किया,उस पर उनका किसी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार नहीं बनता है। यदि दान ही करना था तो बॅटवारा के पूर्व इजमाल संपति से अपना शेयर निकालकर दान करना चाहिए था।

(6) विपक्षी सं०3 द्वारा अपने हिस्से की बिक्री के बाद शेष जमीन जो भी बचा हुआ था,वह आवेदक रविन्द्र यादव का था। माँ के लिए कोई अलग से शेयर नहीं दिया गया है जो कि दान में किसी को दें सकें।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में माँगे गये अनुतोषों को स्वीकृत करने का अनुरोध आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने

किया है।

विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) आवेदक ने यह तथ्य छुपाकर वाद लाया है कि स्थानीय सरपंच के कचहरी में विवादित जमीन के निश्वत एक वाद लंबित है।

(2) आवेदक के द्वारा दिनांक 02.06.06 का एक फर्जी शपथ पत्र दाखिल किया गया है क्योंकि महापति कुँवर के द्वारा कोई शपथ नहीं लिया गया है।

(3) विवादित जमीन के खतियानी रैयत आवेदक और विपक्षी 3 के दादा द्वारिका यादव थे। उनकी मृत्यु के बाद,उनकी संपति उनके दोंनों पुत्रों गुलाब चन्द्र यादव वो कुंजी यादव को प्राप्त हुआ जिसपर वे अपने हिस्सानुसार दखल काबिज है।

(4) गुलाब चंद्र यादव अपने पीछे दो पुत्रों रविन्द्र यादव (आवेदक) और योगेन्द्र यादव (विपक्षी– 3) और विधवा महापति कुँवर (विपक्षी–2) को छोड़कर मरे।

(5) गुलाब चंद यादव के उपरोक्त तीनों उतराधिकारियों के बीच एक मौखिक बँटवारा हुआ जिसमें पत्येक को 1 बीधा 2 कट्टा खेती योग्य भूमि और मकान बना हुआ एक कट्टा जमीन मिला।

(6) आवेदक रविन्द्र यादव ने भी केवाला सं०292 दिनांक 24.02.09 में स्वीकार किया है कि बँटवारा हो चुका है और मॉ ने भी अपना हिस्सा प्राप्त किया है।

(7) केवाला करने के समय आवेदक ने स्वीकार किया कि वे अपनी मॉ की देखभाल करेगें। परन्तु उनके द्वारा नहीं किया गया और मॉ बड़े बेटे योगेन्द्र यादव (विपक्षी 3) के पास आकर रहने लगी।

(8) अपनी पुतोह कुसुमी देवी की सेवा सुश्रुषा से खुश होकर दिनांक 20.09.12 को अपने हिस्से का विवादित जमीन को कुसुमी देवी के नाम निबंधित बख्शीसनामा कर दिया जिसपर कुसुमी देवी शांतिपूर्वक कब्जा में है।

(9) विवादित जमीन पर आवेदक का कोई हक,हकियत वो अधिकार नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वाद खारिज होने योग्य है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया। आवेदक विपक्षी 2 महापति कुँवर के द्वारा विपक्षी 1 कुसुमी देवी को निबंधित बख्शीसनामा को अवैध धोषित कराने हेतु यह वाद लाया है,जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। साथ ही आवेदक ने विवादित जमीन पर आवेदक के कब्जा की धोषण हेतु भी अनुरोध किया है। जब तक बख्शीसनामा वैध है या अवैध ,इसका निर्धारण सक्षम व्यवहार न्यायालय से नहीं हो जाता है तब तक आवेदक के इस अनुतोष को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। वाद को खारिज किया जाता हैं

लेखापित एवं संशोधित

11.04

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।

11.04

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।